सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

(मैनुअल–03)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग की मुख्य प्रक्रिया तथा गतिविधियां निम्नानुसार विभिन्न प्रभागो के अंतर्गत संचालित की जाती हैः–

सूचना ब्यूरो

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं आदि की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य सूचना ब्यूरो के माध्यम से किया जाता है। इस निमित माननीय मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट, राजभवन सूचना परिसर एवं विधान सभा स्थित मीडिया सेंटर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रीगणों के कार्यक्रमों से संबंधित प्रेस–विज्ञप्तियों आदि के साथ ही निदेशालय स्तर से विभिन्न महत्वपूर्ण विभागीय बैठकों में भाग लेकर विभागों से संबंधित प्रगति विवरणों को प्रेस विज्ञप्ति का रूप देकर जनसामान्य की जानकारी हेतु मीडिया को उपलब्ध कराया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री सहित प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश भम्रण के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत शाखा द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में कवरेज आदि के लिये प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शाखा के माध्यम से कराई जाती है। समाचारों के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग में इंटरनेट तथा ई–मेल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली राज्य सूचना केन्द्र के माध्यम से राज्य सरकार की विकास योजनाओं/उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख भी जारी किए जाते हैं।

प्रेस प्रभाग

शासन से संवाद स्थापित करने के लिए श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधाओं तथा सहूलियतों की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। इसके तहत मंत्रीगणों तथा उच्चाधिकारियों आदि से सुविधाजनक रूप से सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश–पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपदाग्रस्त पत्रकारों तथा उनके आश्रितों के लिए ''उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोष'' की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत अस्वस्थ, दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य मानवीय आधार पर पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने तथा जनपद स्तर पर पत्रकारों की समस्याओं एवं उत्पीड़न के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थाई समितियां गठित की गई है, जो समय–समय पर बैठक आयोजित कर पत्र–प्रतिनिधियों की शिकायतों पर विचार करती है। जनपदों में किये जा रहे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन/कार्य प्रगति के प्रचार–प्रसार हेतु शासन के द्वारा प्रतिमाह जिलाधिकारियों को प्रेस वार्ता आयोजित काने के निर्देश दिये गये हैं। जिनकी सूचना निरन्तर प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तर पर की जाने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों का प्रचार–प्रसार जनपद स्तर पर जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर प्रेस प्रतिनिधियों के भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है तथा उन्हे इस कार्य हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विभाग द्वारा प्रेस क्लबो की स्थापना हेतु समुचित सहयोग प्रदान किया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

प्रभाग द्वारा सरकार की नीतियों, उपलब्धियों विकास कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्‌देश्य से प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सरकार की नीतियो तथा योजनाओ एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर विज्ञापन फिल्म निर्माण कराकर उसका प्रसारण विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलो में कराया जाता है।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुँचाने तथा विभिन्न प्रचार इकाईयों के माध्यम से जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। ये कार्यालय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर जनपदों में हो रहे विकास कार्यो, शासन की योजनाओं तथा नीतियों आदि के प्रचार–प्रसार हेतु अपने स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तथा जनपदों में प्रचार गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करने का कार्य करते हैं। समाचार पत्र–पत्रिकाओं तथा मुख्यालय को सूचनाओं के त्वरित प्रेषण के उद्देश्य से सभी जनपद सूचना कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा ई–मेल की व्यवस्था की गयी है।

प्रकाशन प्रभाग

किसी भी राज्य में सूचना विभाग का प्रकाशन प्रभाग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकाशन प्रभाग मुद्रित, साहित्य के माध्यम से आम जनता को शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी प्रदान करता है। इस निमित्त सावधि प्रकाशनों के साथ ही स्थायी महत्व के विचारपरक प्रकाशन भी प्रकाशित कराये जाते हैं। इनका वितरण विशिष्ट व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, मीडिया तथा जन सामान्य तथा ग्राम प्रधानों तक कराया जाता है।

गीत एवं नाटय योजना

पर्वतीय क्षेत्र के जिन दुरूह, दुर्गम एवं जनजातीय अंचलों में समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि संचार माध्यमों से सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं पहुँच सकती थी, अब वहां नवीन उत्तरांचल राज्य के गठनोपरान्त, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी गीत एवं नाटय योजना को सुदृढ़ कर सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों के प्रति जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य सशक्त एवं प्रभावी ढ़ग से सम्पादित कर रहा है। इस योजना से एक ओर जहां अपनी लोक संस्कृति को सहेजने और संजोने का गुरूत्तर कार्य हो रहा है। वहीं स्थानीय प्रतिभाओं के विकसित होने की राह प्रशस्त है। स्थानीय लोगो को रोजगार एवं जीवन यापन के तरीकों में भी परिवर्तन आये है। इसी कड़ी में इस योजना के अन्तर्गत लगभग सभी जनपदों से राज्य स्तर पर पंजीकृत लोक गीत, लोक नृत्य, कठपुतली, कव्वाली, भजन, नाटक, नुक्कड़ नाटय दलों को पंजीकृत किया गया है, जिनसे शासन की नीतियों निणर्यों और उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार का कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है ।

प्रदर्शनी प्रभाग

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का प्रदर्शनी प्रभाग, शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई लोकोन्मुख नीतियों, निर्णयों से जन साधारण का साक्षात्कार कराता है। प्रभाग द्वारा विशेष अवसरों पर सदभावना संदेशों के सूचना पट, होर्डिंग तथा प्रदर्शनी लगाकर देशी–विदेशी पर्यटकों एवं आगन्तुको का ध्यान प्रदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है।

फोटो फिल्म शाखा

जनसंचार माध्यमों में दृश्य माध्यमों का विकास आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आधुनिक संचार आवश्यकताओं के अनुरूप फोटो–फिल्म शाखा, शासन की योजनाओं का छाया चित्रों के माध्यम से प्रचार करती है। इस प्रभाग द्वारा प्रदेश के उच्चपदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का फोटो कवरेज कराकर समाचार पत्र/पत्रिकाओं को निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आवश्यकता के अनुरूप महापुरूषों, विशिष्ट व्यक्तियों के बड़े चित्र भी तैयार कर उपलब्ध कराये जाते है। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर छायाचित्रों की मांग की आपूर्ति भी शाखा द्वारा की जाती है।

शाखा द्वारा शासन की नीतियों, उपलब्धियों एवं विकास कार्यो की जानकारी जन–जन तक पहुचाने हेतु लघु फिल्मों का निर्माण भी कराया जाता है। समय–समय पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का टी.वी. कवरेज शाखा द्वारा कराकर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कराये जाते है। शाखा द्वारा प्रदर्शनी हेतु बड़े चित्रों का निर्माण कार्य भी कराये जाते है।

निरीक्षा शाखा

सूचना सम्बन्धी कार्यो का एक महत्वपूर्ण प्रभाग निरीक्षा शाखा है। इस प्रभाग द्वारा प्रदेश एवं दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी समाचार–पत्र/पत्रिकाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा की जाती है एवं उनमें प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचारों तथा जन समस्याओं से संबंधित समाचारों/सुझावों को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा इस प्रभाग द्वारा प्रतिदिन की जाती है। विभिन्न विभागों से संबंधित लेख, समीक्षा एवं महत्वपूर्ण समाचारों की पत्रावली प्रतिदिन तैयार कर प्रदेश के मुख्य पदाधिकारियों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाती है, जिसका संदर्भ के रूप में यथा आवश्यकता उपयोग होता है। समाचार पत्र /पत्रिकाओं को विज्ञापन एवं प्रेस मान्यता सूची में शामिल करने के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने हेतु भाषा, स्वर नीति आकार व नियमित प्रकाशन आदि की आख्या भी इसी शाखा द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित समाचार कतरनों को सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

नई दिल्ली में स्थापित राज्य सूचना केन्द्र प्रदेश के लिए दिल्ली में जन सम्पर्क का कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन साधारण एवं गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का दायित्व भी दिल्ली सूचना केन्द्र का है। प्रदेश की विकास योजनाओं से सम्बन्धित प्रेस विज्ञिप्तियां इस केन्द्र द्वारा दिल्ली के समाचार–पत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराई जाती है। इस केन्द्र के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया से समन्वय रखकर प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जा रहा है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के देहरादून स्थित मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित राज्य सूचना केन्द्र में स्थापित फैक्स व ई–मेल के माध्यम से विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां दिल्ली स्थित संचार माध्यमों में तत्परतापूर्वक प्रकाशनार्थ सुलभ करायी जाती है। उत्तराखण्ड के बारे में जिज्ञासा रखने वालों के लिए भी सूचना केन्द्र में पर्याप्त प्रचार–साहित्य तथा उपयोगी संदर्भ–सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसके आधुनिकीकरण की कार्यवाही की गई है।

प्रशासन प्रभाग

विभाग के प्रशासन प्रभाग द्वारा मुख्यालय के अधिकारियो/कर्मचारियो का अधिष्ठान का कार्य, राष्ट्रीय समारोह संबंधी कार्य तथा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य किये जाते है।

मीडिया सेटर हल्द्वानी नैनीताल

प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन–साधारण एवं गणमान्य व्यक्तियो तक पहुचाने एवं विकास योजनाओ से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियां स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय समाचार पत्रो को उपलब्ध करायी जाती है। मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय रखकर प्रचार–प्रसार एवं मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है।